संख्या-01/2017/509/84-3-16-नि0-104/2001टी.सी.-1

प्रेषक,

बाल कृष्ण त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप अनुभाग-3 लखनऊ :: दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषयः- उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था के कार्मिकों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-428सचि0स0से0(88)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संस्था के सभी कार्मिकों, जबकि वे कार्यरत हों, या अवकाश पर हों या निलम्बन के अधीन हों, और कार्मिकों पर आश्रित उनके परिवार के सदस्यों पर हुई वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

भवदीय,

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्याः01/2017/509(1)/84-3-2016तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
(8) उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप अनुभाग-1
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in